बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0 :– 17–तक0 को0 –312/2018 (Part–II)...1110...

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/
कटिहार/खगड़िया/किशनगंज/लखीसराय/मधेपुरा/
मुंगेर/नालंदा/पूर्णियाँ/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/
सीतामढ़ी/सुपौल/पश्चिम चम्पारण

पटना, दिनांक :– 29/02/2024

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत टौपोलेण्ड/असर्वेक्षित ग्राम की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध स्पष्ट कहना है कि वर्त्तमान समय में आपके जिले अंतर्गत वैसे ग्राम जो टोपोलैण्ड/असर्वेक्षित ग्राम की श्रेणी में आते है, में अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जिसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामों का विगत खतियान एवं मानचित्र उपलब्ध नहीं है अथवा केवल ग्राम सीमा निर्धारित मानचित्र/अस्पष्ट खतियान उपलब्ध है।

ज्ञातव्य हो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 की धारा–3 के आलोक में राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या–1574 दिनांक 01.10.2012, 188 दिनांक 03.02.2015 एवं 1973 दिनांक 03.11.2016 द्वारा बिहार राज्य के स्थानीय शहरी निकायों की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर शेष समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण करने के लिए राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों को संसूचित किया गया है (अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न)। प्रथम चरण अर्न्तगत पूर्व से चयनित अंचलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि चयनित अंचल के टोपोलैण्ड/असर्वेक्षित श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में भी विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण किया जाए।

अतः उक्त के आलोक में अपने जिला अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रथम चरण अंतर्गत चयनित अंचलों के टौपोलेण्ड/असर्वेक्षित ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

कृ0पृ0उ0

B:\Dharmveer\Y- 2024\Mayur Ji\Director\file no_312_2018_Part-II_ 28.02.2024.docx

ज्ञापांक : 17–तक0 को0 –312 / 2018 (Part–IV)......1110......पटना, दिनांक......29/02/2024
प्रतिलिपि : सभी संबंधित अपर समाहर्त्ता / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/2/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0 –312 / 2018 (Part–IV)......1110......पटना, दिनांक......29/02/2024
प्रतिलिपि : सभी संबंधित समाहर्त्ता / आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0 –312 / 2018 (Part–IV)......1110......पटना, दिनांक......29/02/2024
प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0 –312 / 2018 (Part–IV)......1110......पटना, दिनांक......29/02/2024
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0 –312 / 2018 (Part–IV)......1110......पटना, दिनांक......29/02/2024
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210 / 2011–1574 पटना, दिनांक 01/10/12

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 3 (भागलपुर के संदर्भ में धारा – 3 के साथ साथ धारा – 4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते है कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 13 जिलों यथा नालन्दा, शेखपुरा, छपर, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार, मोतिहारी के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 189 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि मे लगान बढने योग्य है या नही,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहदियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोतर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों मे बढ़ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :–

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नहीं,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नही चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नही, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू—स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहदियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	नालन्दा	बेन, कतरीसराय, थरथरी, नूरसराय, रहुई, राजगीर, इस्लामपुर, हरनौत, हिलसा, चण्डी, बिन्द, सिलाव, अस्थावां, नगरनौसा, बिहारशरीफ, परबलपुर, करायपरशुराय, एकगरसराय, गिरीयक, सरमेरा।
2	शेखपुरा	शेखपुरा सदर, घाट कुसुम्बा, शेखोपुर सराय, चेवाड़ा, अरियरी, बरबीघा।
3	छपरा	गरखा, मसरख, रिविलगंज, बनियापुर, सोनपुर, मांझी, जलालपुर, मकेर, छपरा सदर, मढ़ौरा, पानापुर, दरियापुर, इसुआपुर, नगरा, दिघवारा, अमनौर, लहलादपुर, परसा, तरैया, एकमा।
4.	मुंगेर	टेटिया बम्बर, मुंगेर सदर, जमालपुर, बरियारपुर, धरहरा, हवेली—खड़गपुर, असरगंज, संग्रामपुर, तारापुर।

5	भागलपुर	गोपालपुर, सुल्तानगंज, शाहकुंड, इस्माईलपुर, रंगराचौक, सन्हौला, नाथ नगर, पीरपैंती, खरीक, कहलगाँव, सबौर, गौराडीह, नारायणपुर, बिहपुर, जगदीशपुर, नौगछिया।
6	बेगूसराय	तेघड़ा, बछवारा, बलिया, वीरपुर, बेगूसराय सदर, साम्हो अकहा कुड़हा, मटिहानी, बरौनी, भगवानपुर, मंसुरचक, डन्डारी, बखरी, नावकोठी, गढ़पुरा, चेरिया बरियारपुर, छौड़ाही, खोदाबन्दपुर, साहेबपुर कमाल
7	लखीसराय	लखीसराय सदर, हलसी, सूर्यगढ़ा, पिपरीया, रामगढ़ चौक, बड़हिया, चानन
8	खगड़िया	गोगरी, मानसी, चौथम, खगड़िया सदर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर
9 .	जमुई	लक्ष्मीपुर, चकाई, जमुई सदर, सोन्हो, झाझा, सिकन्दरा, बरहट गिद्धौर, खैरा, अलीगंज
10	सिवान	मैरवा, आन्दर, सिवान सदर, पचरुखी, हसनपुरा, दरौली, लकड़ी नबीगंज, नौतन, रघुनाथपुर, जीरादेई, सिसवन, महाराजगंज, बड़हरिया, भगवानपुर हाट, हुसैनगंज, गुठनी, गौरया कोठी, दरौंदा, बसंतपुर
11	पूर्णियाँ	कृत्यानगर, रूपौली, बड़हरा कोठी, बनमंखी, पूर्णियाँ पूर्व, जलालगढ़, भवानीपुर, धमदाहा, वायसी, कसबा, श्रीनगर, डगरूआ, बैसा, अमौर
12	कटिहार	आजमनगर, आमदाबाद, कदवा, प्राणपुर, हसनगंज, मनसाही, कुरसैला, दण्डखोड़ा, बरारी, कोढ़ा, कटिहार सदर, समेली, मनीहारी, बारसोई, बलरामपुर, फलका
13	मोतिहारी	चकिया, बंजरिया, केसरिया, हरसिद्धि, पिपराकोठी, आदापुर, फेन्हारा, तेतरीया रामगढ़वा, रक्सौल, सुगौली, अरेराज, चिरैया, ढाका, संग्रामपुर, मेहसी, बनकटवा, पताही, पहाड़पुर, पकड़ी दयाल, कोटवा, तुरकौलिया, कल्याणपुर, मधुबन, मोतिहारी सदर, घोड़ा साहन, छौड़ादानो

3. इस विभाग की संख्या 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011–384 दिनांक 29.02.2012 एतद् द्वारा निष्प्रभावी की जाती है।

4. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अशो 1.10.12

(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

D:\Year 2012\Ravindra Pr\Notification\Notification (Hindi) 2.doc

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011...–1574 पटना, दिनांक :– 01/10/12

प्रतिलिपि :– अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

ह0/– 1.10.12
(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011...–1574 पटना, दिनांक :–01/10/12

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस गुलजारबाग, पटना – 7 को (सी॰डी॰ एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/– 1.10.12
(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011...–1574 पटना, दिनांक :–01/10/12

प्रतिलिपि :– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, राजस्व पर्षद/सभी समाहर्त्ता/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/– 1.10.12
(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210 / 2011.......... पटना, दिनांक

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 05 जिलों यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 50 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढने योग्य है या नही,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोतर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :–

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नही,

D:\2014 new\ravindra prasad\notification\Notification (Hindi) 2.doc

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नही चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नही, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	सहरसा	सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर, सौर बाजार, महिषि, कहरा, नौहटा, पतरघट, बनमाई टिहरी, सतर कटैया, सलखुआ = 10 अंचल
2	मधेपुरा	ग्वालपाड़ा, मधेपुरा सदर, गम्हरिया, उदाकिशनगंज, पूरैनी, सिंघेश्वर स्थान, आलम नगर, कुमार खंड, घैलाढ़, शंकरपुर, चौसा, मुरलीगंज, बिहारीगंज = 13 अंचल
3	सुपौल	बसंतपुर, पिपरा, सुपौल सदर, राघोपुर, त्रिवेणीगंज, छातापुर, सरायगढ़ भटियाही, किशनपुर, प्रतापगंज, निर्मली, मरौना = 11 अंचल
4	किशनगंज	किशनगंज सदर, बहादुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ, दिग्धल बैंक, ठाकुरगंज, पोठीया = 07 अंचल
5	अररिया	जौकीहाट, फारबिसगंज, भरगामा, रानीगंज, नरपतगंज, सिकटी, पलासी, कुरसा कॉटा, अररिया सदर = 09 अंचल

3. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

D:\2014 new\ravindra prasad\notification\Notification (Hindi) 2.doc

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011.......... पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

ह0/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011.......... पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस गुलजारबाग, पटना – 7 को (सी॰डी॰ एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011.–/88 पटना, दिनांक :– 03/02/15

प्रतिलिपि :– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, राजस्व पर्षद/सभी समाहर्त्ता/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/विभागीय आ0ई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\2014 new\arvindra prasad\notification\Notification (Hindi) 2.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.......... पटना, दिनांक..........

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 20 जिला यथा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, प0 चम्पारण, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, पटना, मधुबनी, नवादा एवं बांका के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 295 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नहीं,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोत्तर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :–

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसी भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नहीं,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नही चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नही, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनो के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहदियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	मुजफ्फरपुर	कांटि, कुढ़नी, मड़वन, मोतिपुर, पारू, साहेबगंज, सरैया, औराई, बान्द्रा, बोचहां, गायघाट, कटरा, मीनापुर, मुरौल, मुसहरी एवं सकरा = 16 अंचल
2	सीतामढ़ी	बैरगनिया, बथनाहा, डुमरा, मेजरगंज, परिहार, रीगा, रूनीसैदपुर, सोनबर्षा, सुप्पी, बेलसंड, परसौनी, बाजपट्टी, बोखरा, चोरौत, नानपुर, पुपरी एवं सुरसंड = 17 अंचल
3.	वैशाली	देसरी, महनार, सहदई बुजुर्ग, चेहराकला, गोरौल, जन्दाहा, महुआ, पातेपुर, राजापाकाड़, भगवान, बिदुपुर, हाजीपुर, लालगंज, पटेढ़ी बेलसर, राघोपुर, वैशाली = 16 अंचल
4	शिवहर	डुमरी कटसरी, पीपराही, पुरनहीया, शिवहर, तरियानी = 05 अंचल
5	प0 चम्पारण	बगहा–1, बगहा–2, भितहा, मधुबनी, पिपरासी, रामनगर, ठकराहा, गौनाहा, लौरीया, मैनाटाड़, नरकटियागंज, सिकट्टा, बैरिया, बेतिया, चनपटीया, जोगापट्टी, मझौलिया, नौतन = 18 अंचल
6	गया	बेलागंज, बोधगया, फतेहपुर, मानपुर, सदर गया, टनकुप्पा, वजीरगंज, आतरी, नीमचकबथानी, खिजरसराय, मोहरा, आमस, बांके बाजार, बाराचट्टी, डोभी, डुमरिया, गुरूआ, ईमामगंज, मोहनपुर, शेरघाटी, गुरारू, कोंच, परैया, टेकारी = 24 अंचल
7	जहानाबाद	घोषी, हुलासगंज, जहानाबाद, काको, मखदुमपुर, मोदनगंज, रतनीफरीदपुर = 07 अंचल
8	औरंगाबाद	दाउदनगर, गोह, हसपुरा, ओबरा, औरंगाबाद, बारूण, देव, कुटुम्बा, मदनपुर, नबीनगर, रफीगंज = 11 अंचल
9	अरवल	अरवल, कलेर, करपी, कुर्था, सोनभद्र वंशी सूर्यापुर = 05 अंचल
10	कैमूर	अधौरा, भभुआ, भगवानपुर, चैनपुर, चाँद, रामपुर, दुर्गावती, कुदरा, मोहनियाँ, नुआँव, रामगढ़ = 11 अंचल

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
11	रोहतास	अकौढ़ी गोला, डिहरी, नौहट्टा, रोहतास, तिलोथू, विक्रमगंज, दावथ, दिनारा, काराकाट, नसरीगंज, राजपुर, संझौली, सुर्यपुरा, चेनारी, करहगर, कोचस, नोखा, सासाराम, शिवसागर = 19 अंचल
12	गोपालगंज	बैकुण्ठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचाईकोट, मांझा, सिधवलिया, थावे, भोरे, विजयपुर, हथुआ, कटैया, पंचदेउरी, फुलवरीया, उचकागाँव = 14 अंचल
13	समस्तीपुर	मोहनपुर, मोहदीनगर, पटौरी, विभूतिपुर, बिथान, हसनपुर, रोसड़ा, शिवाजीनगर सिंघिया, कल्याणपुर, खानपुर, मोरवा, पूसा, समस्तीपुर, सरायरंजन, ताजपुर, वारीसनगर, दलसिंहसराय, उजियारपुर, विद्यापतिनगर = 20 अंचल
14	दरभंगा	बहादुरपुर, बहेरी, दरभंगा, हनुमाननगर, हायाघाट, जाले, केवटी, मनीगाछी, सिंघवारा, तारडीह, अलीनगर, बेनीपुर, बिरौल, गौराबउरम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुश्शेवर स्थान प0, कुश्शेवर स्थान पुर्वी = 18 अंचल
15	भोजपुर	अगिआँव, आरा, बरहरा, गड़हनी, कोईलवर, सहार, संदेश, उदवतनगर, बिहिया जगदीशपुर, शाहपुर, चरपोखरी, पीरो, तरारी = 14 अंचल
16	बक्सर	बक्सर, चौसा, ईटाढ़ी, राजपुर, ब्रह्मपुर, चक्की, चौगाई, डुमराव, केसठ, नावानगर, सिमरी = 11 अंचल
17	पटना	बिहटा, दानापुर, मनेर, नौबतपुर, विक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, अथमलगोला, बख्तियारपुर, बाढ़, बेलछी, घोसवरी, मोकामा, पंडारक, पटना सदर, फुलवारीशरीफ, संपतचक, धनरूआ, मसौढ़ी, पुनपुन, दनियावां, फतुआ, खुसरूपुर = 23 अंचल
18	मधुबनी	बेनीपट्टी, बिसफी, हरलाखी, माधवापुर, बाबूबरही, कलुआही, खजौली, पंडौल, रहिका, राजनगर, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर, लखनौर, मधेपुर, बासोपट्टी, जयनगर, लदनीया, घोघरडीहा, खुटौना, लौकही, फुलपरास = 21 अंचल
19	नवादा	अकबरपुर, गोविंदपुर, मेसकौर, नरहट, रजौली, रोह, सिरदल्ला, हिसुआ, काशीचक, कौआकोल, नारदीगंज, नावादा सदर, पकरीबरावाँ, वारसलीगंज = 14 अंचल
20	बांका	अमरपुर, बांका, बाराहाट, बेलहर, बौंसी, चानन, धौरैया, कटोरिया, फुलीडूमर, रजौन, शंभुगंज = 11 अंचल

3. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

Jiwan 2016/Jdt Jdhonotification/Notification (Hindi) dated 20-09-2016.doc

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.......... पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड—3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

ह0 / —
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.......... पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस गुलजारबाग, पटना — 7 को (सी.डी. एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / —
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011....1973 पटना, दिनांक :— 03-11-2016

प्रतिलिपि :— सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, राजस्व पर्षद / सभी समाहर्त्ता / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना—7 / सभी बंदोबस्त पदाधिकारी / विभागीय आ0ई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28.10.16
प्रधान सचिव